

3423

Ag / 3059 / E / 15

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2015

पुनरीक्षणकर्ता.....

सुरेन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह,
राजपूत, आयु- 25 वर्ष, व्यवसाय-
कृषि, निवासी- रेहकला, तहसील
कुरवाई जिला विदिशा (म.प्र.)

बनाम

अनावेदक.....

बाबू लाल पुत्र श्री भुजवल सिंह
राजपूत, आयु- 60 वर्ष, व्यवसाय-
कृषि, निवासी- रेहकला तहसील
कुरवाई जिला विदिशा (म.प्र.)

Amrit Sharma
10-9-15
Pr.

दिनांक 10-9-15 को
श्री अमीत शर्मा कर्मचारी
द्वारा प्रस्तुत।

केसरी

10-9-15 पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 तहसीलदार
50 कुरवाई जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 43-अ-12-13 आदेश दिनांक 18.06.15
के विरुद्ध सादर प्रस्तुत।

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है

1. संक्षिप्त तथ्य

- 1.1 यह कि उक्त निगरानी कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 224, 225/1 का सीमांकन राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया जिसमें निगरानीकर्ता के स्वत्व की भूमि सर्वे क्र. 225/2 के रकवा में से 0.073 हेक्टेयर भूमि सर्वे क्र. 225/1 में मिला दी गई; के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जा


3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3059-एक/15

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	